


HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. E/4138 Jabalpur, dated 09.12.2016.

The copy of the Notification of the Government of M.P. F.No.1-6/89/XX1-B(1)3822/2016, Bhopal, dated 08.12.2016 as per the provisions of Section 36(2) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Acting Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judges, Mandasaur, Dewas, Datia and Harda for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also.
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information.
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.


(Vivek Saxena)
O.S.D. (D. E.)

4084

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल



अधिसूचना

भोपाल-दिनांक 09-11-2016

फा.क्रमांक 1-6/89/21-ब(एक) 3822/2016 - स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 7, 18, 31 तथा 48 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेषन खण्ड
7.	श्री रामलाल यादव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर
18.	श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, देवास	देवास	देवास
31.	श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया	दतिया	दतिया
48.	श्री विजय कुमार अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा	हरदा	हरदा

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

09 DEC 2016

Principal

REGISTRAR GENERAL (V. No.)
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR

0.50.10.2

NOTIFICATION

G.N. No. 689 XXI (B) 338-2/2016. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby notifies the following (other amendments) in this department's Notification No. 14-689 XXI-Act) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated the 17th April, 1998, namely:-

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Schedule, in serial numbers 7, 18, 31 and 48 and entries relating thereto shall be substituted, to read as follows:-

SCHEDULE

S. No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
	Shri Ramesh N. Jais, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur
18	Shri. Yogesh Chandra Gupta, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Dewas	Dewas	Dewas
	Shri. Dhirendra Kumar Srivastava, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Datia	Datia	Datia
18	Shri. Vilas Kumar Agrawal, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Harda	Harda	Harda

This amendment shall come into force from the date when the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said court.

मध्य प्रदेश सरकार के उपनाम से तथा आदेशानुसार,

(एम. सक्सेना)

पमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 1-6/89/21-ब(एक) 3822/2016,

भोपाल, दिनांक

-11-2016

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उनके जापन क्रमांक B/4665/III-6-3/89Pt-VIII, दिनांक 03.10.2016 के संदर्भ में.
2. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल.
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास, दतिया, हरदा एवं मंदसौर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर० के० वाणी)
3.11.16

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग